

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-76/2019-20

| आदेश की तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ |
|--------------|---|---|
| 03.08.2019 | <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 20.09.2019 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>अभिलेख 20.09.2019 को उपस्थापित करें।</p> | |
| 20.09.2019 | <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 25.10.2019 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>अभिलेख 25.10.2019 को उपस्थापित करें।</p> | |
| 25.10.2019 | <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 20.11.2019 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>अभिलेख 20.11.2019 को उपस्थापित करें।</p> | |
| 20.11.2019 | <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 21.12.2019 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>अभिलेख 21.12.2019 को उपस्थापित करें।</p> | |
| 21.12.2019 | <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक-229(B), दिनांक-13.12.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिक्रेता सलन होरो, पिता-स्व० फनुएल होरो, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.), ग्राम-उन्धन, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम एवं क्रेता अनील कुमार हेम्ब्रम, पिता-नयाल हेम्ब्रम, ग्राम-बुरुकासाई, जाति-मुण्डा (अ.ज.जा.), थाना-आनन्दपुर, जिला- प० सिंहभूम के निवासी हैं एवं आवेदित भूमि मौजा-उन्धन, थाना नं०-91, थाना-मनोहरपुर, खाता नं०-83, खेसरा नं०-339, 346, रकवा-7 डि० 500 वर्गकड़ी, 3 डि०, कुल रकवा-10 डि० 500 वर्गकड़ी भूमि मनोहरपुर थाना अंतर्गत है।</p> <p>CNT Act के प्रावधान के विपरीत क्रय की जानेवाली भूमि के पुलिस थाना से इतर क्रेता अन्य थाना के निवासी हैं। अतः आवेदन को खारिज किया जाता है।</p> | |